



ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

Khawaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow

(Uttar Pradesh State Government University)



संख्या – १०११/के.एम.सी.भा.वि/कुस.का/2024-13/14

दिनांक : 17 अक्टूबर, 2026

अवकाश सूचना

सामान्य प्रशासन अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ की विज्ञापित दिनांक 16 अक्टूबर 2026 द्वारा निगोशियेबुल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट 1881 के अन्तर्गत महानवमी के अवसर पर दिनांक 20 अक्टूबर 2026 को पूर्व से घोषित अवकाश के अतिरिक्त दिनांक 19 अक्टूबर 2026 को भी अवकाश घोषित किया गया है।

अतः सामान्य प्रशासन अनुभाग की विज्ञापित दिनांक 16 अक्टूबर 2026 के अनुपालन में दिनांक 19 अक्टूबर 2026 को विश्वविद्यालय में अवकाश घोषित किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में किसी परीक्षा, साक्षात्कार का आयोजन यदि पूर्व से निर्धारित है, तो उक्त परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजन पूर्व निर्धारित समय पर किया जायेगा, अर्थात् उपरोक्त कार्य यथावत् होंगे।

0.1.1
17.10.2026
(विकास)

कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वैयक्तिक सहायक को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. अधिष्ठाता-छात्र कल्याण।
5. कुलानुशासक।
6. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार अपने संकाय/विभाग के शिक्षकों को अवगत कराने का कष्ट करें।
7. समस्त आचार्य/सह आचार्य/सहायक आचार्य को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार पाठ्यक्रम/विषय के छात्र/छात्राओं को अवगत कराने का कष्ट करें।
8. समस्त सहायक आचार्य (अस्थायी)/अतिथि व्याख्याता
9. समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारी

17.10.2026
(मोहम्मद सहील)
उप कुलसचिव

उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
लखनऊ: दिनांक: 16 अक्टूबर, 2026

विज्ञप्ति

सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या- 671 / तीन -2025- 39 (2)/2016 दिनांक 17 नवम्बर, 2025 द्वारा वर्ष 2026 हेतु घोषित अवकाशों की सूची के प्रस्तर- 2 (1) में वर्ष 2026 के राजपत्रित अवकाश की सूची में निगोशियेबुल इन्सट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन दिनांक 20 अक्टूबर 2026 को महानवमी एवं विजयदशमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उक्त के क्रम में दिनांक 19 अक्टूबर, 2026 (दिन सोमवार) को निगोशियेबुल इन्सट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन महानवमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में महानवमी के पावन अवसर पर दिनांक 19 अक्टूबर, 2026 (दिन सोमवार) को निगोशियेबुल इन्सट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन एतद्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

3- तदनुसार सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या-671 / तीन-2025-39 (2)/2016 दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त विज्ञप्ति दिनांक 17 नवम्बर, 2025 के शेष अंश यथावत रहेंगे।

आज्ञा से,

(एस0वी0एस0 रंगा राव)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 4- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 5- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज ।
- 6- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 7- समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 8- प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, उ0प्र0 ।
- 9- सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्यो का विभाग, नई दिल्ली।
- 10- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 11- प्रबन्धक एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति-बैंक आफ बड़ौदा , आंचलिक कार्यालय, 45, भारतीय जीवन बीमा निगम बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ।